उनवान

ण   बनाम   प्रतिवादीगण

लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
मारााम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी
ामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1.राणाराम पुत्र लिछाराम
2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम
3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम
जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर
तहसील रामसर जिला बाडमेर।
4 शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
शाखा रामसर।
5.तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 04/2025   :— **निर्णय** :—   दिनांक :—.25.05.2026

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा **पाबूदानसिंह की ढाणी** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा नम्बर 112 रकबा 8.8545 हैक्टेयर अर्थात 54 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की आई हुई थी इस में से रकबा 0.2058 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु समर्पण करने से खसरा नम्बर 506/112 रकबा 0.2058 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुआ । खसरा संख्या **504/112** रकबा **4.8342** हेक्टैयर, खसरा संख्या **505/112** रकबा **3.8145** हेक्टैयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **09.01.2025** को जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 से 03 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, एंव सहमती जाहिर की गई। एंव प्रतिवादी संख्या 04 बैंक होनें व प्रतिवादी संख्या 05 भूमिधारी होनें से औपचारिक रूप से संयोजित किया जाता है। एंव तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक/भू.अ./2026/1295 दिनांक 06.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ जिसे रेकर्ड पर लेकर शामील मिशल किया गया । विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.05.2026 के अनुसार पक्षकारानों की भूमि विभाजन किया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एंव मौखिक साक्ष्य तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **पाबूदानसिंह की ढाणी** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या **504/112** रकबा **4.8342** हेक्टैयर, खसरा संख्या **505/112** रकबा **3.8145** हेक्टैयर भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क्र. स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	लगान	किस्म	वंरग
1.	1.लुम्बा पुत्र गोरधन हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार रहन हिस्सा 4/5 बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रामसर।	504/112	3.7543	0.19	बा.दो	हरा
		505/112	1.6511	0.08	बा.दो	
		02	**5.4054**	**0.27**	**बा.दो**	
2.	1.पेमाराम पुत्र गोरधन हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	505/112	1.0811	0.06	बा.दो	लाल
		01	**1.0811**	**0.06**	**बा.दो**	
3.	1.राणाराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/3 2.सरूपाराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/3 3.हीरादेवी पत्नी लक्ष्मणराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	504/112	1.0799	0.05	बा.दो	नीला
		505/112	1.0823	0.05	बा.दो	
		02	**2.1622**	**0.10**	**बा.दो**	

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

...क्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन के आदेश की ... में प्रेषित किया हैं उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उस पर मनन किया ... वादीगण वकील द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमती जाहिर की, एवं वाद अन्तिम ...य व डिकी करनें का निवेदन किया।

अतः पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस अनुसार अंतिम विभाजन करनें के आदेश पारित जाते हैं । तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन मुतिब हो तदनानुसार डिकी पर्चा जारी हो। अंतिम डिकी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा शीट में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। तदनूसार डिकी पर्चा जारी हो। उक्त निणर्य की पालना क लिए तहसीलदार रामसर को तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/26

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर बमुकाम रामसर

बइजलास श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –04/2025 अनवान

...ण	बनाम	प्रतिवादीगण
...लुम्भाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट 2.पेमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1.राणाराम पुत्र लिछाराम 2.स्वरूपाराम पुत्र लिछाराम 3.श्रीमती हीरादेवी पत्नी लिछाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर तहसील रामसर जिला बाडमेर। 4 शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामसर। 5.तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या **04/2025** ::–**डिक्री पर्चा** ::– दिनांक :–**25.05.2026**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी मिनजामिन मुदई व मुहायला पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि मौजा **पाबूदानसिंह की ढाणी** पटवार मण्डल **चाडार मदरूप** ,भूअनि रामसर के खसरा संख्या **504/112** रकबा **4.8342** हेक्टैयर, खसरा संख्या **505/112** रकबा **3.8145** हेक्टैयर की भूमि में तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन अनुसरण में प्रस्तुत वादी एंव प्रतिवादीगण का खसरा रकबा व लगान अलग –अलग करनें के आदेश दिये जाते हैं तदनानुसर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे । तदनासुार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण एंव प्रतिवादीगण खर्चा अपना–अपना वहन करें।

बीज...................... मुबलीग..बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.........फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25.05.2026** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.रामसर)

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजाना		

25/5/2026

सहायक कलक्टर रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner